सत्र - 2018-19

ई- दस्तावेजों के सत्यापन (e-Verification of Documents) हेतु निर्देश

(1) **कक्षा 10वीं की अंकसूची का सत्यापन (e-Verification)-** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के दौरान कक्षा 10वीं का बोर्ड एवं रोल नम्बर प्रविष्ट करते ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदत्त जानकारी से e-Verification हो जाएगा।

(2) **कक्षा 12वीं की अंकसूची का सत्यापन (e-Verification)-** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के दौरान कक्षा 12वीं का बोर्ड एवं रोल नम्बर प्रविष्ट करते ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदत्त जानकारी से e-Verification हो जाएगा।

(3) **SC/ST/OBC श्रेणी का सत्यापन (e-Verification)-** जिन अभ्यर्थियों द्वारा समग्र आईडी के आधार पर विगत वर्षों में मध्यप्रदेश शासन से छात्रवृत्ति प्राप्त की है उनकी SC/ST/OBC श्रेणी की जानकारी अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन में समग्र आईडी प्रविष्ट करते ही एनआईसी के माध्यम से प्रदत्त जानकारी के आधार पर e-Verification हो जावेगा।

(4) **मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र का सत्यापन (e-Verification)** – अभ्यर्थियों द्वारा मध्यप्रदेश शासन का मूल निवासी प्रमाण पत्र अथवा मूल निवासी से संबंधित स्वघोषित घोषणा पत्र की जानकारी रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रदान करने पर उसको ही सही मानकर e-Verification किया जावेगा।

(5) **परिवार की आय का प्रमाण पत्र (रु. 6 लाख वार्षिक से कम आय) का सत्यापन (e-Verification)-** TFW या OBC अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र अथवा अभिभावक द्वारा आय के संबंध में दिया गया घोषणा पत्र को सही मानकर e-Verification किया जावेगा।

(6) अभ्यर्थी की मूल अंकसूची जारी न होने की स्थिति में यदि परीक्षा परिणाम अधिकृत पोर्टल पर उपलब्ध हैं तो उसे मान्य करते हुए अधिकृत सहायता केन्द्रों पर इंटरनेट की अंकसूची का पोर्टल से मिलान कर दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा।

(7) **Auto e-Verification (ई-दस्तावेजों का सत्यापन)** में यदि शैक्षणिक अर्हता व जाति एवं अन्य जानकारियों का पूर्णतः सत्यापन हो जाता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को "पंजीयन एवं ई-दस्तावेज सत्यापन" की पर्ची जारी की जावेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अधिकृत सहायता केन्द्रों पर नहीं जाना है।

(8) अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दी गई समस्त जानकारियों का ई-सत्यापन न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को केवल पंजीयन की पर्ची जारी की जावेगी। ऐसे अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों का सत्यापन आवंटन के पूर्व अथवा आवंटन के बाद (केवल निजी संस्था आवंटित अभ्यर्थियों को) निर्धारित तिथियों में अधिकृत सहायता केन्द्रों पर करवाना होगा। जिन अभ्यर्थियों को शासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त एवं स्ववितीय संस्थाएँ आवंटित हुई हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर नहीं कराना है, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही संपन्न करेंगे।

30/5

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

Instructions-eVerification&AadharAuthentication.docx

Scanned by CamScanner